


भूमि की पक्षधारक के मध्य पृथक-पृथक निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्रम सं.	नाम स्वामिदाए	ख.न.	रकबा	किस्म -	मालक
1	लक्ष्मीनारायण शं. सीताराम पति वैशंगी शं. देह हि० 1/4	71	0.11	माल 2	-
			किता 1 रकबा 0.11 बीघा		

2	पद्मनिष शं. सीताराम शं. शं. जगेश, सावित्री उषा काई शं. जगेश, शांती शं. सीताराम कोम वैशंगी शं. देह हि० 3/4	71	1.09	माल 2	
		72	0.03	-	
			किता 2 रकबा 1.12 बीघा		

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षधारक के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिपोर्ट में अमल दरमजद करने हेतु तहसीलदार कार्या के आदेशित किया जाता है तदनुसार पालनी सुनिश्चित की जाने तथा अतिरिक्त डिप्टी पंचा जारी हो। पञ्जीवली फौशल सुमार होकर बंदताभील तमाम के दायरिल दफ्तर हो।

  
 उपखाण्ड अधिकारी  
 छबड़ा जिला बारी (राज.)